

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठसीन अधिकारी- श्री प्रदीप सिंह सांगवत (आर.ए.एस.)

1. प्रकरण संख्या :- डिक्री 238 सन 2018

पंजीयन दिनांक :- 04.10.2018

1. लालुराम पिता घीसा पुर्बिया(गाडरी) निवासी माताजी की पाण्डोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. रतनलाल पिता घीसा पुर्बिया(गाडरी) निवासी माताजी की पाण्डोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलांटगण

## विरुद्ध

1. रतनी पुत्री कालु पत्नी मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा)  
- मृतक के बजाय
  - 1/1. मांगीलाल पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
  - 1/2. गोपाललाल पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
  - 1/3. लालाराम पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
  - 1/4. भैरूलाल पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ बजिसल क्रमांक 136/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2018

- उपस्थित-
1. भगवत सिंह गिलुण्डिया- अधिवक्ता अपीलान्तगण
  2. सुरेशचन्द शर्मा- अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1
  3. पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट सं. 2

  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

**2. प्रकरण संख्या :- डिफ्री 225 सन 2018**

**पंजीयन दिनांक :- 06.09.2018**

1. रतनी पुत्री कालु पत्नी मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) - मृतक के बजाय
- 1/1. मांगीलाल पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चित्तौडगढ
- 1/2. गोपाललाल पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चित्तौडगढ
- 1/3. लालाराम पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चित्तौडगढ
- 1/4. भैरूलाल पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चित्तौडगढ

-अपीलांटगण

**विरुद्ध**

1. श्रीमती प्रतापी बेवा गंगाराम जाति गाडरी निवासी पाण्डोली (नाम तर्क किया)
2. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार चित्तौडगढ तहसील व जिला चित्तौडगढ

-रेस्पोंडेन्टगण


अपील अन्तर्गत धारा 223, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय व डिफ्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ बमिसल क्रमांक 136/2017 वाद निर्णय व डिफ्री दिनांक 25.07.2018

- उपस्थित-
1. सुरेशचन्द शर्मा - अधिवक्ता अपीलान्तगण
  2. पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट सं. 2

**निर्णय**

**दिनांक:-27.12.2023**

प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 वादिया ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत मौजा पाण्डोली तहसील चित्तौडगढ की आराजी नम्बर 1353 रकबा 0.85 हैक्टर आराजी नम्बर 1375 रकबा 0.26 हैक्टर आराजी नम्बर 1378 रकबा 0.33 हैक्टर आराजी नम्बर 1379 रकबा 0.3 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.47 हैक्टर जो वर्तमान में मृतक प्रतिवादिया प्रतापी के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि आराजियात के साबिक आराजी नम्बर 569/3 रकबा 10 बीघा थे जो वादिया रतनी के पिता कालू पिता केला भील को

  
राजस्थान अधीनस्थ अधिकारी  
चित्तौडगढ (राज.)

आवंटन से प्राप्त थी। स्वर्गीय कालू जी ने इस पर अपनी अंग मेहनत कर उपयोग उपभोग योग्य बनाया व कुंआ खुदवाया। स्वर्गीय कालू के देहान्त के बाद वादिया रतनी मृतक के वैधानिक वारिस होकर काशत करती चली आ रही है। प्रतिवादिया प्रतापी व उसके पिता गंगाराम का उक्त आवंटित आराजी पर कभी कब्जा काशत नहीं रहा जिससे रेस्पोंडेंट वादिया उक्त कृषि आराजियात अपने नाम खातेदारी घोषणा कराने की अधिकारी है। अपीलांटगण की माता प्रतिवादिया के द्वारा विधिविरुद्ध तरीके से दिनांक 04.05.1978 को राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 का उल्लंघन कर अपने नाम नीलामी के द्वारा विक्रय होना बताकर रेस्पोंडेंट वादिया के पिता कालू पिता केला के बजाय अपना नाम दर्ज करा दिया। उक्त आवंटित भूमि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम खातेदारी में दर्ज होने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार का इन्द्राज शून्य व प्रभावहीन है। रेस्पोंडेंट वादिया उक्त इन्द्राज को सही कराने की अधिकारी होने व प्रतिवादी प्रतापी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में वादपत्र रेस्पोंडेंट वादिया प्रस्तुत किया गया।



अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोंडेंट वादिया रतनी की ओर से वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस जारी किये गये। वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादिया प्रतापी की मृत्यु हो चुकी थी व उसके पूर्व पति गंगाराम की भी मृत्यु हो चुकी है। मृतका की कोई जायंदा संतान नहीं होने व उसके विधिक वारिसान नहीं होने से प्रतिवादिया का नाम विलोपित करने का निवेदन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 वादिया की ओर से नकल जमाबंदी नकल मिलान क्षेत्रफल, नामान्तरण पंजिका, विक्रय विलेख प्रस्तुत किये। उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट पाण्डोली में नियत की जाकर रेस्पोंडेंट संख्या 1 वादिया का वादपत्र निरस्त किया जाकर उक्त आराजियात को बिलानाम सरकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान की ओर से प्रथम अपील प्रार्थना पत्र 96 जाब्दा दीवानी के साथ प्रस्तुत की गई व प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया गया कि प्रतिवादिया प्रतापी का उक्त आराजियात पर कभी कब्जा नहीं रहा है। अपीलांटगण ही उक्त कृषि आराजियात पर काबिज होकर निरन्तर कब्जे काशत चले आ रहे हैं जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादिया का वादपत्र निरस्त कर विवादित कृषि आराजियात को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का जो निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरुद्ध इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की इससे पूर्व वादिया अपीलांट रतनी बाई ने भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो अपील क्रमांक 225/2018 विचाराधीन है। दोनो ही अपीलो में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.7.2018 जिसमें रेस्पोंडेंट रतनी जिसका दौरान अपील

राजस्थान अपील प्राधिकारी  
जिनाङ्गण (राज.)

स्वर्गवास होकर जिसकी विधिक वारिसान रेकार्ड पर है ने चुनौती दी है जिससे अपील क्रमांक 225/2018 व अपील क्रमांक 238/2018 में एक ही तथ्य होने से दोनो अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

दोनो अपीले दर्ज रजिस्टर की जाकर दोनो अपीलों के रेस्पोंडेंटगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर हमकिता की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम की गई।

अपील क्रमांक 238/2018 के अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाब्दा दीवानी का उल्लेख करते हुये अपील में निवेदन किया गया कि विवादित कृषि आराजियात पर न तो वादिया रतनी ओर न ही प्रतिवादी प्रतापी का कब्जा रहा है। विवादित कृषि आराजियात पर अपीलांटगण का कब्जा चला आ रहा है फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना कब्जे के वादिया रतनी का वादपत्र निरस्त किया जाकर उक्त कृषि आराजियात को राजस्व लोक अदालत के तहत गुणावगुण पर निर्णय पारित करते बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरुद्ध अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1/1 से 1/4 व राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अपील क्रमांक 225/2018 में अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत के तहत बिना किसी राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित कर अपीलांट वादिया का वादपत्र निरस्त कर विवादित कृषि आराजियात को विलानाम सरकार घोषित किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत नहीं होने से अपीलार्थी रतनी के वारिसान की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर वादिया रतनी का वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होना बताते हुये अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील का निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की ओर से अपील क्रमांक 238/2018 व अपील क्रमांक 225/2018 पर की गई बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व उक्त पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में वादिया ने अपने पिता कालू पिता केला भील को साबिक आराजी नम्बर 569/3 रकबा 10 बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 1353, 1375, 1378, 1379 किता 4 रकबा 1.47 हैक्टर जो कि वर्तमान में प्रतापी बेवा गंगाराम प्रतिवादिया के नाम नीलामी विक्रय से हो जाना व उक्त नीलामी विक्रय राजस्थान काश्तकारी



राजस्थान अपील प्राधिकारी  
जयपुर (राज.)

अधिनियम, 1955 की धारा 42 के विरुद्ध होना बताते हुए खातेदारी में दर्ज किये जाने का वादपत्र प्रस्तुत किया व उक्त आराजी वर्तमान में प्रतापी के खाते में दर्ज रेकार्ड है व प्रतापी का भी दौराने अपील स्वर्गवास हो चुका है। प्रतापी के पूर्व उसके पति गंगाराम का स्वर्गवास हो जाना राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है। अपीलांटगण जिन्होंने धारा 96 के आवेदन के साथ इस आधार पर अपील प्रस्तुत की है कि प्रतापी प्रतिवादिया व उसके पति गंगाराम का उक्त कृषि आराजियात पर कभी कब्जा नहीं रहा है। वर्तमान में उक्त भूमि अपीलांटगण के कब्जे काशत में चली आ रही है। कब्जे के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं होते हुये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की है। दोनो प्रार्थना पत्र धारा 96 व धारा 5 कानून म्याद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से अपील क्रमांक 238/2018 अस्वीकार की जाती है व अपील क्रमांक 225/2018 जिसमें वादिया रतनी ने इस न्यायालय में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा वादपत्र निरस्त किया व उक्त कृषि आराजियात को बिलानाम सरकार घोषित किये जाने की डिक्री पारित की जिससे असंतुष्ट होकर प्रथम अपील प्रस्तुत की है जबकि वादिया रतनी के पिता केला ने इस कृषि आराजियात पर ऋण लिया था व उक्त ऋण चुक्ता नहीं होने से उक्त कृषि आराजियात की नीलामी गंगाराम के नाम कन्फर्म हुई है व गंगाराम के नाम उक्त कृषि आराजियात दर्ज हुई है। गंगाराम व उसकी पत्नी प्रतिवादीया प्रतापी लाओलाद फौत हो जाने से व उसके कोई जायंदा वारिस नहीं होने से उक्त कृषि आराजियात को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार घोषित किये जाने की जो निर्णय व डिक्री पारित की गई है वह विधिसम्मत होने से व अपील क्रमांक 238/2018 में भी कोई कानूनी बल नहीं होने से खारिज हो चुकी है व अपील क्रमांक डिक्री 225/2018 निरस्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील क्रमांक डिक्री 238/2018 व अपील क्रमांक डिक्री 225/2018 निरस्त की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ प्रकरण संख्या 136/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2018 यथावत रखा जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावें।

(  
 (अरुण क. सिंह) (आधीनस्थ विचारण)  
 आर.ए.एस

राजस्व अपील प्राधिकारी  
 चित्तौडगढ



अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाफ़ा दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीअरसीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगवत, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 238/2018/डिक्री

1. लालुराम पिता घीसा पुर्बिया(गाडरी) निवासी माताजी की पाण्डोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. रतनलाल पिता घीसा पुर्बिया(गाडरी) निवासी माताजी की पाण्डोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलांटगण

विरुद्ध

1. रतनी पुत्री कालु पत्नी मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्टाटा) - मृतक के बजाय
  - 1/1. मांगीलाल पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्टाटा) तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
  - 1/2. गोपाललाल पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्टाटा) तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
  - 1/3. लालाराम पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्टाटा) तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
  - 1/4. भैरूलाल पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्टाटा) तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोंडेन्टगण

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 136/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2018 वाद पत्र धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : अपील क्रमांक डिक्री 238/2018 निरस्त की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 136/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2018 यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्च, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रुपये है,..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्च ..... द्वारा दिये जाने हैं । यह आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(प्रदीप सिंह सांगवत)  
राजस्व अपील प्राधिकारी,  
चित्तौड़गढ़

